

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227956, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 40(86)ग्रावि / नरेगा / आईएचएचएल / 2014 / Eo-60018

जयपुर, दिनांक:

15 MAY 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं

जिला कलक्टर, समस्त।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत IHHL के शौचालय निर्माण कराने बाबत।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 03.05.2016, 21.02.2017, 15.03.2017।

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नवीन मास्टर परिपत्र-2017-18 के बिन्दु सं. 7.2.3.3 में वर्णित है कि "Construction of Individual Household Latrines (IHHLs) under Mahatma Gandhi NREGA: In order to give impetus to the Swachh Bharat Mission (Gramin) to achieve a clean India by 2019, the scheme of IHHL construction under Mahatma Gandhi NREGA shall focus on construction of IHHLs in Pradhan Mantri Awas Yojna-Grameen (PMAY-G) Houses, houses being constructed under other Schemes, (such as housing schemes for Bidi Workers, for construction workers under the Construction Workers Welfare Fund) and schemes of the State Governments. The unit cost of IHHL under Mahatma Gandhi NREGA will be Rs. 12000/- and design of IHHL will be as in SBM (G). It should be ensured, however, that in cases, where Mahatma Gandhi NREGA funds are being used for the construction of IHHLs, funding under SBM (G) is not used, to avoid duplication. In villages under Mission Antyodaya, IHHL may be constructed from MGNREGS for households who do not have a Toilet and have not been provided funds under SBM (G) for construction of IHHL. In all other Gram Panchayats MGNREGS funds would be utilized only for PMAY-G beneficiaries. No defunct Toilets shall be taken up for construction of IHHLs under Mahatma Gandhi NREGA".

अतः योजनान्तर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृतियाँ उपरोक्त प्रावधानानुसार जारी करवाकर कार्य सम्पादित करावे। शौचालय निर्माण हेतु शेष निर्देश पूर्व सन्दर्भित पत्रानुसार ही रहेंगे।

भवदीय

20
(सुदर्शन सेठी) 12.5.2017
अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहा०, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज० सरकार।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राजस्थान।
7. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्रिषद, समस्त।
8. कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस सह विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस